पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

"सागर, सामाजिक सहयोग"

महापत्तनों के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) दिशानिर्देश – 2023

पृष्ठभूमि

पत्तनों की आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय गतिविधियों के समाज और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए पत्तनों को उनके उत्थान की जिम्मेदारी लेते हुए समाज के हितों की सेवा करनी चाहिए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में, सभी महापत्तनों को ऐसी गतिविधियों की पहचान करनी होगी जो समाज और पर्यावरण पर एक प्रत्यक्ष सामाजिक प्रभाव पैदा करेगी। यह कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) दिशानिर्देश बड़े पैमाने पर अपने हितधारकों और समाज के हितों को पहचानते हुए आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से संधारणीय तरीके से संचालित करने के लिए पत्तन की प्रतिबद्धता है। यह प्रतिबद्धता अनिवार्य आवश्यकताओं से परे है, और इसकी परिधि के सतत विकास के साथ निकटता से जुड़ी हुई है।

महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 दिनांक 03.11.2021 को लागू हुआ और महापत्तन प्राधिकरण (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) नियम, 2021 को 22.11.2021 को अधिसूचित किया गया। उपरोक्त नियमों के नियम 2 के उप-नियम (1) के खंड (डी) के अनुसरण में, केंद्र सरकार ने अब निम्नलिखित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) दिशानिर्देश, 2023 बनाए हैं।

I. प्रयोज्यता

ये दिशानिर्देश इन पर लागू होते हैं

(i) महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 70 में विनिर्दिष्ट गतिविधियों से संबंधित परियोजनाएं या कार्यक्रम।

(ii) केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व दिशानिर्देशों में यथानिर्दिष्ट गतिविधियों से संबंधित परियोजनाएं या कार्यक्रम।

II. सीएसआर समिति

सीएसआर परियोजनाओं की योजना बनाने और उन्हें लागू करने के उद्देश्य से, प्रत्येक महापत्तन में एक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन किया जाएगा। समिति की अध्यक्षता महापत्तन के उपाध्यक्ष करेंगे तथा दो अन्य सदस्य होंगे, अर्थात् बोर्ड का एक सदस्य और महापत्तन के विभाग्याध्यक्ष (महापत्तन के अध्यक्ष द्वारा यथानामित)। यह समिति 22 नवंबर 2021 को अधिसूचित महापत्तन प्राधिकरण (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) नियमावली, 2021 के नियम 5 में उल्लिखित कार्यों का निर्वहन करेगी।

III. योजना एवं कार्यान्वयन

(i) प्रत्येक महापत्तन वित्तीय वर्ष की शुरुआत में निधि आवंटित करने और अनुबंध में सूचीबद्ध गतिविधियों से सीएसआर के तहत शुरू की जाने वाली परियोजनाओं, कार्यक्रमों या गतिविधियों की पहचान करने के लिए एक "कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व योजना" तैयार करेगा।

(ii) सीएसआर परियोजनाएं, कार्यक्रम या गतिविधियां महापत्तनों के कार्यक्षेत्र के भीतर शुरू की जा सकती हैं, जैसा कि बोर्ड द्वारा घोषित किया गया है।

(iii) पत्तन अपने सीएसआर को इकाई के व्यापार से संबंधित सामाजिक और पर्यावरणीय सरोकारों के साथ व्यापार योजना में एकीकृत करेगा।

(iv) जहां भी संभव हो, नियम 5 के तहत प्रतिपादित सीएसआर योजना के अनुसार सीएसआर गतिविधियों को व्यापार का स्वाभाविक परिणाम बनाते हुए बंदरगाह के व्यवसाय से संबंधित क्षेत्रों पर जोर दिया जाएगा।

(v) सीएसआर में निवेश, परियोजना आधारित होगा।

(vi) सीएसआर गतिविधियां सामुदायिक सदभावना उत्पन्न करेंगी तथा सामाजिक या पर्यावरणीय प्रभाव और दृश्यता सृजित करेंगी।

(vii) प्रत्येक परियोजनाओं के लिए समय सीमा एवं आवधिक माइलस्टोन को आरंभ में ही अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।

(viii) सीएसआर परियोजनाएं, पर्यावरण पर युनाइटेड नेशन वैश्विक प्रभाव कार्यक्रम से संबंधित तथा उनकी गतिविधियों के परिणामस्वरूप तत्काल एवं दीर्घावधिक सामाजिक एवं पर्यावरणीय आधारित सतत विकास के सिद्धांतों से अत्यधिक संबंधित हो सकती हैं।

(ix) पत्तनों को समुदायों के नव प्रवर्तनकारी सामाजिक निवेश में महत्व देना चाहिए तथा आपदा प्रबंधन में “तत्परता एवं क्षमता निर्माण” के क्षेत्रों पर फोकस करना चाहिए।

(x) सीएसआर परियोजनाओं के तहत पहचान किए गए परियोजना गतिविधियों को विशेषीकृत एजेंसियों द्वारा कार्यांवित किए जाने की आवश्यकता है तथा सामान्यत: पत्तन संबंधित कार्मिकों द्वारा नहीं। विशेषीकृत एजेंसियों में स्वैच्छिक एजेंसियां, स्व-सहायता समूह, ट्रस्ट, मिशन आदि शामिल होंगे।

विशेषीकृत एजेंसियों को इन परियोजनाओं से संबधित कार्य सौंपते समय इन एजेंसियों की विश्वसनीयता एवं साफ-सुथरा ट्रैक रिकॉर्ड का सत्यापन करने के लिए प्रत्येक संभावित प्रयास करना आवशयक है। पत्तन इन एजेंसियों का उचित पैनल तैयार कर सकते हैं या वे सरकार, स्वायत्त निकायों या राष्ट्रीय सीएसआर हब आदि द्वारा तैयार पैनल से भी ले सकते हैं।

(xi) पत्तन सीएसआर गतिविधियों को संयुक्त रूप से करने के लिए एक दूसरे के साथ भी सहयोग कर सकते हैं, बशर्ते कि प्रत्येक पत्तन इन परियोजनाओं पर व्यक्तिगत रूप से रिपोर्ट करने में सक्षम हो।

(xii) पूरी तरह से पत्तन कर्मचारियों के लाभ/प्रशिक्षण से संबंधित गतिविधियों एवं व्यय तथा अपने स्वयं के कर्मचारियों की मनोरंजनात्मक गतिविधियों की गणना सीएसआर के रूप में नहीं की जाएगी।

IV. वित्तपोषण

(i) सीएसआर बजट अनिवार्यत: निम्नलिखित तरीके से सकल लाभ के प्रतिशत के रूप में बोर्ड संकल्प के माध्यम से तैयार किए जाएंगे:

पत्तन की वित्तीय स्थिति सकल लाभ (पूर्व वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष में सीएसआर का व्यय रेंज लाभ का(%)
क. 100 करोड़ रू से कम	3% - 5%
ख. 100 करोड़ रू से 500 करोड़ रू तक	2% -3% न्यूनतम 3 करोड़ रू के अध्यधीन)
ग. 500 करोड़ रू तथा अधिक	0.5% से 2%

(ii) नुकसान होने वाले पत्तनों को सीएसआर गतिविधियों के लिए विशिष्ट निधियन निर्धारित करना अनिवार्य नहीं है। तथापि, वे जहां भी संभव है सामाजिक प्रक्रिया के साथ अपनी व्यापार प्रक्रिया को समाकलित करके सीएसआर के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं तथा ऐसी पहलों को ले सकते हैं जिसमें नगद व्यय शामिल नहीं होते हैं।

(iii) सीएसआर बजट प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए। यह निधीयन व्यपगत नहीं होगा। इसे सीएसआर निधि में हस्तांतरित किया जाएगा, जिसे संचित किया जाएगा तथा व्यपगत नहीं होगा। यदि पत्तन अपने सीएसआर पहलों पर अपेक्षित न्यूनतम निधि खर्च करने में असमर्थ है तो तत्संबंधी कारणों को वार्षिक रिपोर्ट में उल्लिखित किया जाना चाहिए है।

(iv) आवंटित सीएसआर निधि को निम्नलिखित तरीके से उल्लिखित किया जाना चाहिए:

क. निधि का 20% निम्नलिखित गतिविधियों/ योगदानों में इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

i) जिला स्तर पर सैनिक कल्याण बोर्ड।

ii) राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर, लोथल, गुजरात (एनएमएचसी)।

iii) राष्ट्रीय युवा विकास निधि(एनवाईडीएफ)

ख. निधि का 78%, दिशानिर्देशों संबंधी अनुबंध के रूप में संलग्न सूची के अनुसार समुदाय के सामाजिक एवं पर्यावरणीय कल्याण हेतु जारी किया जाना चाहिए।

ग. निधि का 2% गतिविधियों की मॉनीटरिंग के लिए।

V. मॉनीटरिंग

i) प्रत्येक महापत्तन बोर्ड सीएसआर गतिविधियों के कार्यांवयन के बारे में अपनी बोर्ड की बैठक में चर्चा करेंगे।

ii) बोर्ड, स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर के अंतर्गत किए जाने वाले गतिविधियों को भी अंतिम रूप देगा।

iii) सीएसआर गतिविधियों/ परियोजनाओं के कार्यांवयन तथा वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति से संबंधित तथ्यों पर पत्तन की वार्षिक रिपोर्ट में अलग से पैराग्राफ/ अध्याय शामिल किया जाना चाहिए।

VI. अनुमोदन

i) प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरूआत में सीएसआर समिति महापत्तनों द्वारा प्राप्त सीएसआर प्रस्तावों की संवीक्षा करेगी। सीएसआर समिति द्वारा विधिवत विचार करने के पश्चात प्रस्तावों/ गतिविधियों को अनुमोदन एवं कार्यान्वयन हेतु महापत्तन बोर्ड को अनुशंसित किया जाएगा।

ii) मंत्रालय अपने विवेक पर महापत्तन बोर्ड को अपनी स्वयं की लागत पर किसी भी सीएसआर परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए सम्यक प्रक्रियाओं का अनुपालन करने पर विचार करने का निदेश दे सकता है।

iii) सभी महापत्तन उपर्युक्त दिशानिर्देशों का पालन करेंगे तथा वित्तीय वर्ष के आरंभ में गंभीरतापूर्वक आवंटित बजट के भीतर सीएसआर परियोजनाओं, कार्यक्रमों अथवा गतिविधियों को शुरू करेंगे। शुरू की गई गतिविधियों तथा निधियों के आवंटन को वित्तीय वर्ष के लिए पत्तन के बजट प्रस्तावों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

.....

अनुबंध

क. निधि का 20% निम्नलिखित के लिए आवंटित किया जाना चाहिए:

i) जिला स्तर पर सैनिक कल्याण बोर्ड।
ii) राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर (एनएमएचसी)।
iii) राष्ट्रीय युवा विकास निधि (एनवाईडीएफ)।

ख. निधि का 78% उन गतिविधियों के लिए आवंटित किया जाए जिनमें निम्नलिखित शामिल किया जा सकता है:

i) पेय जल।
ii) शिक्षा तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना।
iii) कौशल विकास केंद्रों की स्थापना, कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, उद्यमिता विकास कार्यक्रम तथा युवाओं के लिए प्लेसमेंट सहायता कार्यक्रम।
iv) विद्युत, गैर-परंपरागत एवं नवीकरणीय उर्जा स्रोत।
v) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
vi) फोर्वर्ड एवं बैक्वर्ड लिंकेजों के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आजिविका में सुधार।
vii) देश के किसी भी भाग में भूकंप, साइक्लोन, सूखा एवं बाढ़ आदि जैसे प्राकृतिक आपदाओं के पीडितों को राहत सहित आपदा प्रबंधं।
viii) सामुदायिक केंद्र/ रात्रि निवास/ वृद्धाश्रम।
ix) गोद लेना (अडॉप्शन) के माध्यम से गाँवों मे बुनियादी अवसंरचना।
x) हॉस्टल (विशेषकर अनु.जा./अनु.ज.जा. तथा लड़कियों के लिए) के निर्माण एवं/अथवा प्रचालन ।
xi) प्रदूषण नियंत्रण उपायों, पर्यावरण-अनुकूल प्रौद्योगिकियां, पर्यावरण का संरक्षण/जीर्णोद्धार/ पारिस्थितिकी और सतत विकास लक्ष्य।
xii) उद्योग की 17 श्रेणियों के लिए पर्यावरण संरक्षण संबंधी कॉर्पोरेट दायित्व चार्टर के संबंध में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिए गए स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य कार्य संबंधी सुझाव।
xiii) सिविल निर्माण या अन्य सार्वजनिक प्रयोग, एसटीपी, तेल प्रदूषण के अपशिष्ट का पुनर्चक्रण।

xiv) समुद्री पारिस्थितिकी से प्लास्टिक को हटाने से संबंधित गतिविधियां/ परियोजनाएं।

xv) जन हित के लिए ड्रेजिंग कार्यकलापों में से निकाले गए सामग्रियों का उपयोग

xvi) कला एवं संस्कृति को बढ़ावा।

xvii) खेल-कूद को बढ़ावा।

****